नवनीत सहगल,
प्रमुख सचिव

अर्द्धशाप0 सं0-27/2016/1007/57-2016/7(3)2015

धर्मार्थ कार्य विभाग
लखनऊ: दिनांक: 20 अक्टूबर, 2016

महोदय,

उ0प्र0 सरकार द्वारा श्री कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने वाले, उ0प्र0 राज्य के मूल निवासियों को यात्रा की समाप्ति के पश्चात् अनुदान प्रदान किया जाता है। इस हेतु प्रत्येक वर्ष यात्रियों को सूचित करते हुये उनसे आवेदन प्राप्त किये जाते है। अतः उपरोक्त प्रयोजन हेतु प्रेस विज्ञप्ति संलग्न कर प्रेषित करते हुये मुझे आपसे यह कहने की अपेक्षा की गई है कि कृपया प्रश्नगत विज्ञप्ति को उ0प्र0 के विभिन्न अंचलों से निकलने वाले विभिन्न महत्वपूर्ण समाचार पत्रों में व्यापक रूप से प्रकाशित कराते हुये कृत कार्यवाही से प्राथमिकता के आधार पर शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीय,
नवनीत सहगल

श्री सुधेश कुमार ओझा,
निदेशक, सूचना विभाग,
सूचना एवं जनसम्पक विभाग,
उ0प्र0 शासन।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

उत्तर प्रदेश शासन
धर्मार्थ कार्य विभाग
संख्या-27(1)/2016/1007/57-2016-7(3)/2015
लखनऊः दिनांकः 20 अक्टूबर, 2016

<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

वित्तीय वर्ष 2016-17 में श्री कैलाश मानसरोवर की तीर्थ यात्रा से होकर लौटने वाले उ0 प्र0 राज्य के मूल निवासियों को राज्य सरकार की ओर से आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने के संबंध में धर्मार्थ कार्य विभाग की विज्ञप्ति/प्रकीर्ण संख्या-94/57-2013-3(36)/2011, दिनांकः 19 फरवरी, 2013 (जिसका विवरण नीचे उल्लिखित है) तथा शासनादेश संख्या-974/57-2013-3(36)/2011 दिनांकः 24 अक्टूबर, 2013 में प्राविधानित प्रतिबन्धों एवं शर्तो के अधीन उक्त विज्ञप्ति/प्रकीर्ण में निर्धारित प्रारूप पर 15 दिन की अवधि के अन्तर्गत, उ0 प्र0 के मूल निवासियों को राज्य सरकार की ओर से दिये जाने वाले आर्थिक अनुदान हेतु श्री कैलाश मानसरोवर यात्रियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है।

1- भारत सरकार द्वारा आयोजित की जाने वाली कैलाश मानसरोवर यात्रा में शामिल होने वाले उ0 प्र0 के यात्रियों को जो उ0 प्र0 के मूल निवासी भी हों तथा वर्तमान में भी प्रदेश में निवास कर रहे हों, को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा रू0 50 हजार की धनराशि, अनुदान स्वरूप दी जायेगी, जिसमें आवेदक द्वारा सक्षम स्तर से निर्गत निवास प्रमाण-पत्र अथवा पासपोर्ट की प्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

2- अनुदान वर्तमान लागू प्रक्रिया के अनुसार भारत सरकार द्वारा यात्रा में सम्मिलित होने वाले तथा यात्रा पूर्ण करने वाले यात्रियों को ही देय होगी।

3- अनुदान की धनराशि यात्रा की पूर्ण होने के उपरान्त प्रतिपूर्ति योग्य होगी।

4- जीवन काल में किसी यात्री को एक बार ही अनुदान दिया जायेगा।

5- अनुदान की सुविधा मामले में बजट प्राविधानित धनराशि तक ही यात्रियों को देय होगी तथा सीमित रहेगी।

6- यात्रा में सम्मिलित यात्रियों को यात्रा समाप्त होने के पश्चात तीन मास के अंदर विदेश मंत्रालय, भारत सरकार या चाइना सरकार द्वारा निर्गत बीजा/पासपोर्ट/प्रमाण-पत्र के आधार पर अनुदान स्वीकृत किया जायेगा।

7- किसी यात्री की मृत्यु होने की दशा में पत्नी/पति या आश्रित के द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर अनुदान की प्रतिपूर्ति हेतु विचारोपरान्त निर्णय लिया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

8- आवेदक द्वारा निम्नलिखित प्रारूप पर अपना आवेदन प्रमुख सचिव, धर्मार्थ कार्य विभाग, उ0 प्र0 शासन, कक्ष संख्या-105, प्रथम तल, बापू भवन, लखनऊ को डाक के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगाः-

नवनीत सहगल
प्रमुख सचिव।

1- यात्री का नामः-

2- पिता/पति का नामः-

3- व्यवसायः-

4- निवास स्थान का पूर्ण पताः-
(दूरभाष क्रमांक हो तो)

5- विदेश मंत्रालय द्वारा चयन का वर्ष- एवं बैच क्रमांक एवं पासपोर्ट की प्रतिलिपिः-

6- कैलाश मानसरोवर की यात्रा पूर्ण करने का प्रमाण-पत्र

7- यात्रा पर हुए व्यय का विवरणः-

8- कैलाश मानसरोवर की क्या प्रथम यात्रा है (हां या नहीं)

9- पहचान पत्रः-

स्थानः-

दिनांकः- **<u>आवेदक का हस्ताक्षर</u>**

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।